



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस LICENCE FOR OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

601-ए/ए, कनेक्टस टॉवर / Konnectus Tower-1, छठी मंजिल / 6th Floor, डीएमआरसी बिल्डिंग / DMRC Building,
भवभूति मार्ग / Bhavbhuti Marg, नई दिल्ली / New Delhi-110002

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/ओएच/एल- 8000051.5

Licence No. CRO/OH/L- 8000051.5

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/recertifies to

मैसर्स न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, M/s Nuclear Power Corporation of India Ltd.,
नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन Narora Atomic Power Station
पीओ: एनएपीएस टाउनशिप PO: NAPS Township
नरौरा, जिला. - बुलन्दशहर, (उ.प्र.) - 203 389 Narora, Distt. - Bulandshahr, (U.P) - 203 389

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आईएस/आईएसओ 45001:2018 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of **Occupational Health & Safety Management Systems Certification** in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 45001:2018

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/recertified-subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 13 सितम्बर 2023 से 18 अगस्त 2026 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 13 Sep 2023 to 18 Aug 2026 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2023 के सितम्बर माह के तेरहवां दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and dated this Thirteenth day of Sep 2023

(Dr. R.K Tyagi)
Deputy Director General (Central)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS





O
H
S
M
S

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/ओएच/एल- 8000051.5

Licence No. CRO/OH/L- 8000051.5

जारी : मैसर्स, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन,
पीओ: एनएपीएस टाउनशिप, नरौरा, जिला. - बुलन्दशहर, (उ.प्र.) - 203 389

Issued to : M/s Nuclear Power Corporation of India Ltd., Narora Atomic Power Station,
PO: NAPS Township, Narora, Distt. – Bulandshahr, (U.P) – 203 389

अनुसूची SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस नवीकृत किया गया है

Products Services/Processes with respect to which the firm has been **recertified** the licence for **Occupational Health & Safety Management Systems Certification**:

“All activities at the site of Narora Atomic Power Station (NAPS), P.O.- Narora, District – Bulandshahr (U.P) for generation of electricity from Nuclear Energy, including Hospital and Guest House located in NAPS Township”

(Dr. R.K Tyagi)
Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

